<u>उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल</u>

माननीय मुख्य न्यायाधीश

<u>रिट पिटिशन (एम/एस) संख्या - 22 सन 2023</u>

<u>11 जनवरी 2023</u>

मध्य :

श्रीमती संगीता बिजलवान ..... याचिकाकर्ता

बनाम

भूपेश प्रसाद देवरानी ..... प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के वकील : विद्वान अधिवक्ता पीयूष गर्ग

प्रत्यर्थी के वकील : विद्वान अधिवक्ता, विकास बहुगुणा

न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया :

याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत विद्वान जिला न्यायाधीश, देहरादून द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.10.2022 को चुनौती देने के लिए वर्तमान याचिका को प्रस्तुत किया है। सिविल अपील संख्या 60 सन 2021, आदेश 43 नियम 1 (आर) सीपीसी के तहत प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत की गई। आक्षेपित आदेश के अनुसार, प्रतिवादी द्वारा की गई उक्त अपील स्वीकार की गई थी, और आदेश 39 नियम 1 और 2 सीपीसी के तहत याचिकाकर्ता/वादी के पक्ष में दी गई निषेधाज्ञा रद्द कर दी गई थी।

2) वर्तमान याचिका पर आगे बढ़ने से पहले संक्षिप्त तथ्यों पर ध्यान दिया जा सकता है।

3) याचिकाकर्ता, जो वादी है, का दावा है कि उसने श्रीमती सुमनलता कैंथोला एवं श्रीमती कुसुमलता देवरानी से जमीन का एक टुकड़ा खरीदा है जिन्होंने यह प्लॉट गणेश प्रसाद, सुधीर कुमार और कमलेश्वर प्रसाद से खरीदा था। उपरोक्त तीन व्यक्तियों ने, बदले में, जमीन के मूल मालिक, नरेश चंद से जमीन खरीदी। याचिकाकर्ता के विक्रय पत्र में कहा गया है कि याचिकाकर्ता को बेचे गए भूखंड के दक्षिण में 14 फीट चौड़ा रास्ता है, और उससे आगे, प्रतिवादी की भूमि (दक्षिणी तरफ) स्थित है। याचिकाकर्ता ने स्थल पर स्थिति दिखाने के लिए वादपत्र के साथ निम्नलिखित योजना भी प्रस्तुत की, जैसी वह मौजूद है:

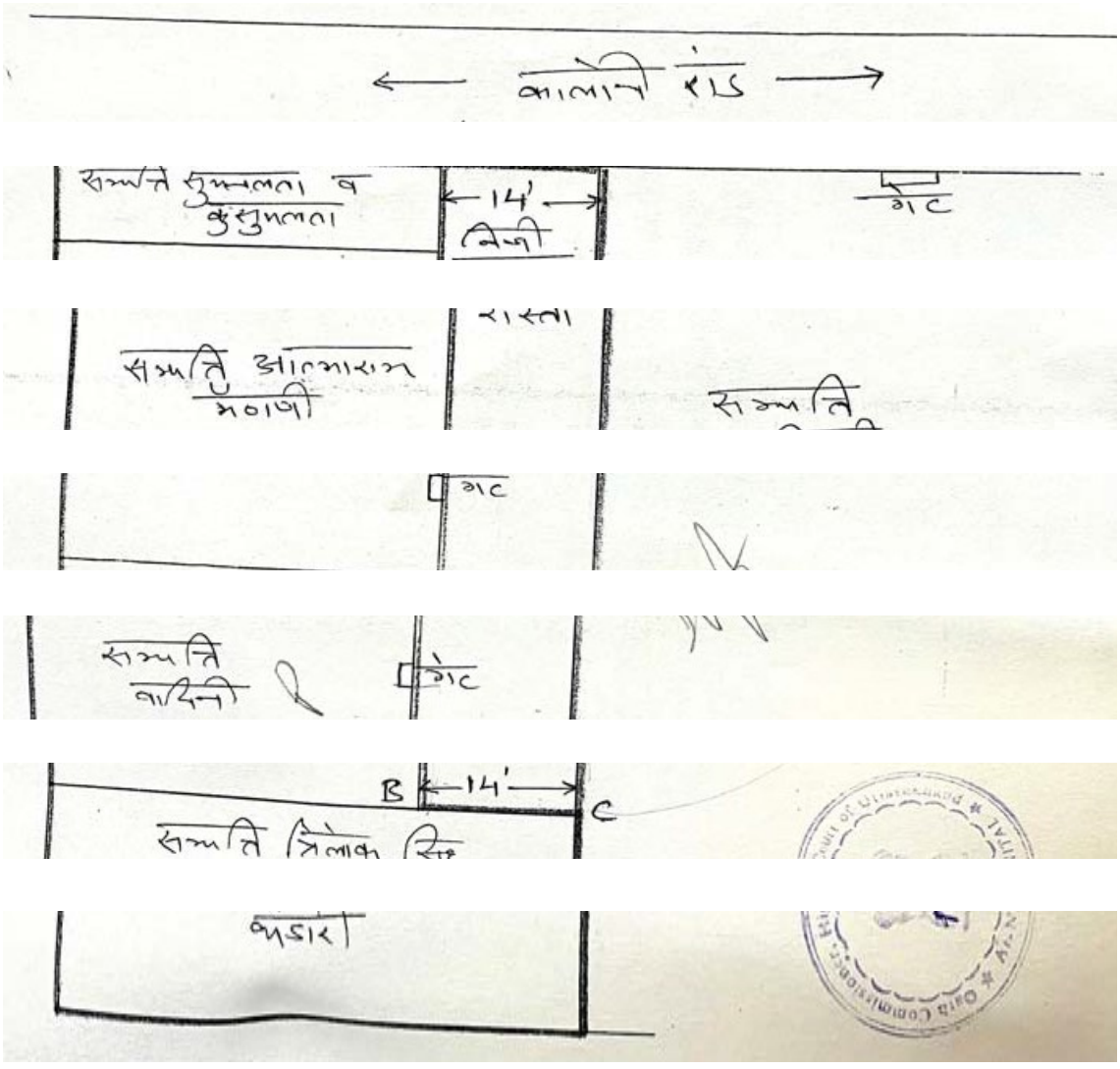

4) मुकदमे में याचिकाकर्ता का मामला यह था कि 14 फीट चौड़ा मार्ग याचिकाकर्ता के पूर्ववर्तियों द्वारा याचिकाकर्ता के हित में बनाया गया था, ताकि पूर्ववर्तियों द्वारा हित में बनाए गए भूखंडों तक पहुंच प्रदान की जा सके। चूंकि, पूर्ववर्तियों ने याचिकाकर्ता सहित विभिन्न व्यक्तियों को अपनी जमीन बेच दी है, उनके पास 14 फीट के रास्ते के लिए कोई अधिकार नहीं बचा था, जो विशेष रूप से याचिकाकर्ता और अन्य भूखंड मालिकों के उपयोग के लिए था जिन्हें याचिकाकर्ता के पूर्ववर्तियों द्वारा काटे गए भूखंड बेचे गए हैं। याचिकाकर्ता का दावा है कि प्रतिवादी, जो 14 फीट मार्ग के दक्षिण में स्थित भूमि का मालिक था, उसकी भूमि तक मुख्य सड़क, यानी कॉलोनी रोड से पहुंच है, जैसा कि वादपत्र में दिखाया गया है। यद्यपि छोटे भूखंडों को तराशने के लिए, प्रतिवादी 14 फुट के मार्ग का उपयोग करके उन भूखंडों तक पहुंचने की मांग कर रहा था। वादी द्वारा तदनुसार, प्रतिवादी को 14 फीट चौड़े मार्ग का उपयोग करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा के लिए अपना मुकदमा दायर किया।

5) निचली विचारण न्यायालय ने आदेश 39 नियम 1 और 2 सी. पी. सी. के अंतर्गत 27.10.2021 के आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता के पक्ष में एक अंतरिम निषेधाज्ञा प्रदान की। उक्त निषेधाज्ञा के अनुदान के विरुद्ध, प्रतिवादी ने आदेश 43 नियम 1 (आर) सी. पी. सी. के तहत वैधानिक अपील प्रस्तुत की, जिसे विवादित आदेश द्वारा स्वीकार किया गया।

6) याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री गर्ग का प्रस्तुतीकरण है कि विवादित आदेश विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा उनके क्षेत्राधिकार के बाहर पारित किया गया है और इसलिए, वर्तमान याचिका अनुरक्षणीय है। वे प्रस्तुत करते हैं कि वांडर लिमिटेड बनाम एंटोक्स इंडिया (पी) लिमिटेड, 1990 सप एस. सी. सी. 727 में, सर्वोच्च न्यायालय ने उन सिद्धांतों को निर्धारित किया है जिन

पर एक अंतरिम राहत आवेदन पर निचली अदालत द्वारा पारित आदेश पर अपील न्यायालय द्वारा विचार किया जाना चाहिए। वांडर लिमिटेड (ऊपर) में निर्णय के पैरा 14 में, सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह टिप्पणी भी कि :

"14. ..... ऐसी अपीलों में, अपील न्यायालय प्रथम दृष्टया न्यायालय के विवेकाधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं करेगा और अपने स्वयं के विवेकाधिकार को प्रतिस्थापित करेगा, सिवाय इसके कि जहां विवेकाधिकार का उपयोग मनमाने ढंग से, या मनमौजी या विकृत रूप से किया गया है या जहां न्यायालय ने अंतर्वर्ती निषेधाज्ञाओं के अनुदान या इनकार को विनियमित करने वाले कानून के तय किए गए सिद्धांतों की अनदेखी की है। विवेकाधिकार के प्रयोग के विरुद्ध अपील को सैद्धांतिक रूप में अपील कहा जाता है। अपीलीय न्यायालय सामग्री का पुनर्मूल्यांकन नहीं करेगा और नीचे दिए गए न्यायालय द्वारा पहुँचाए गए निष्कर्ष से अलग निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेगा यदि उस न्यायालय द्वारा पहुँचा गया निष्कर्ष सामग्री पर यथोचित रूप से संभव था। अपील न्यायालय आम तौर पर केवल इस आधार पर अपील के विवेकाधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा कि यदि उसने मुकदमे के चरण में मामले पर विचार किया होता तो वह एक विपरीत निष्कर्ष पर पहुंच जाता। यदि निचली अदालत द्वारा विवेकाधिकार का उचित और न्यायिक तरीके से प्रयोग किया गया है, तो यह तथ्य कि अपील न्यायालय ने एक अलग दृष्टिकोण लिया होगा, निचली विचारण के विवेकाधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप को उचित नहीं ठहरा सकता है।

7) श्री गर्ग प्रस्तुत करते हैं कि निचली न्यायालय ने पक्षों के प्रथमदृष्टया मामले सुविधा का संतुलन, और; अपूरणीय नुकसान और चोट जो निषेधाज्ञा की

अंतरिम राहत के अनुदान या इनकार के कारण हो सकती है, का मूल्यांकन किया गया, अपील न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी, जब तक कि यह नहीं दिखाया गया कि निषेधाज्ञा देने में निचली न्यायालय द्वारा विवेकाधिकार का प्रयोग मनमाना, मज़बूत और विकृत था। अपील न्यायालय निचली अदालत द्वारा दिए गए निष्कर्ष से अलग निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सामग्री का पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकता था, क्योंकि निचली अदालत द्वारा पहुँचा गया निष्कर्ष अभिलेख पर रखी गई सामग्री पर यथोचित रूप से संभव था। मात्र इसलिए कि अपील न्यायालय पक्षों के संबंधित मामले पर मूल्यांकन कर एक अलग निष्कर्ष पर पहुंच सकता था, अपील न्यायालय निचली अदालत द्वारा दिए गए अंतरिम निषेधाज्ञा में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। इस प्रकार, श्री गर्ग का प्रस्तुतीकरण है कि चूंकि अपील न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार को पार कर लिया है, जिसका इस तरह से प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए था, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत वर्तमान याचिका विचारणीय है।

8) मैंने श्री गर्ग को सुना है, ईशा एकता विभाग सीएचएस लिमिटेड और अन्य बनाम मुंबई नगर निगम और एक अन्य, (2012) 4 एससीसी 689, जिसमें वांडर लिमिटेड (उपरोक्त) का हवाला दिया गया है, में मेरे समक्ष उद्धृत निर्णय का अवलोकन किया है, और निचली विचारण न्यायालय के साथ-साथ प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का भी अवलोकन किया है।

9) मेरे विचार में, वर्तमान याचिका इस कारण से विचारणीय नहीं है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय अर्थात् जिला न्यायाधीश ने अपने क्षेत्राधिकार से अधिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया है। जिला न्यायाधीश का न्यायालय, अपील न्यायालय होने के नाते, आदेश 43 नियम 1 (आर) सी. पी. सी. के तहत अपील सुनने का हकदार था, और दर्ज किए जाने के कारणों के लिए, या तो अपील की

अनुमति देने, या उसे अस्वीकार करने, या ऐसे अन्य आदेश पारित करने का हकदार था जो दिए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में मांगे जा सकते हैं। मात्र इसलिए कि आदेश 43 नियम 1 (आर) सी. पी. सी. के तहत अपील को विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा स्वीकार किया गया है, यह जिला न्यायाधीश के अपने क्षेत्राधिकार को पार करने के समान नहीं है। अपील पर विचार करने का क्षेत्राधिकार आदेश 43 नियम 1 सी. पी. सी. द्वारा विद्वान जिला न्यायाधीश में निहित है। उक्त अपील पर विचार करने का क्षेत्राधिकार जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की वैधता पर निर्भर नहीं है । वांडर लिमिटेड (उपरोक्त) पर प्रस्तुत किया गया प्रस्तुतीकरण अपील में दिए गए निर्णय के गुण-दोष के आधार पर प्रस्तुत किया गया है, यह तर्क देने के लिए कि अपीलीय निर्णय गलत है। भले ही, यह तर्क के लिए स्वीकार किया जाना था कि अपील न्यायालय त्रुटि में पड़ गया है, यह क्षेत्राधिकार के भीतर एक त्रुटि है। तथाकथित त्रुटि अपील न्यायालय, अर्थात् जिला न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप नहीं करती है और यह नहीं कहा जा सकता है कि अपील न्यायालय ने अपील की अनुमति देकर अपने क्षेत्राधिकार को पार कर लिया है।

10) अन्यथा भी, याचिकाकर्ता के विक्रय विलेख के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि उसे अपने भूखंड तक पहुँचने के लिए मात्र 14 फुट के मार्ग पर जाने का अधिकार दिया गया था, जिससे याचिकाकर्ता में कोई विशेष अधिकार नहीं था, या मात्र याचिकाकर्ता के हित में पूर्ववर्तियों से प्रतिशोध लेने वालों को उक्त 14 फुट के मार्ग का उपयोग करने का विशेष अधिकार नहीं था। प्रत्यर्थी याचिकाकर्ता के हित में पूर्ववर्तियों द्वारा निष्पादित दिनांक 02.08.2017 के सुविधाभोगि पत्र पर अवलम्ब करता है, जो स्वीकार करता है कि 14 फुट का मार्ग प्रतिवादी द्वारा भूमि के योगदान के साथ विकसित किया गया था। उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता ने

अपने पूर्ववर्तियों को मुकदमे में पक्षकार प्रतिवादी के रूप में भी शामिल नहीं किया है।

11) उपरोक्त कारणों से, मुझे इस याचिका में कोई योग्यता नहीं मिलती है। तदनुसार, रिट याचिका खारिज कर दी जाती है।

12) यह कहने की जरूरत नहीं है कि मेरे द्वारा की गई टिप्पणियां, मामले के प्रथमदृष्टया मूल्यांकन पर की गई हैं, और निचली विचारण न्यायालय के समक्ष किसी भी पक्ष के मामले को प्रभावित नहीं करेंगी।

विपिन सांघी, सी. जे.

दिनाक :11 जनवरी, 2023

नेगी